प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00673/2019-2020 दिनांक 06/11/2019

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/GOR/00692/2019-2020 पत्रावली संख्या:जी- 31368 दिनांक:1999-2000

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **प्रभा सेवा समिति, एफ-5/16 प्रथम तल रायल गेस्ट हाउस स्टेशन रोड तहसील- सदर जनपद- गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर , 273001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 569 दिनांक-04/11/1999 को दिनांक-04/11/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(SUNIL KUMAR SRIVASTAVA)
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-06/11/2019

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु. 10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

51AD 972362

जनरल स्टाम्प पेपर ....प्रभा सेवा समिति [illegible]
[illegible] गोरखपुर [illegible]
जिला ....गोरखपुर.... फाइल नं० [illegible]
[illegible] ....के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

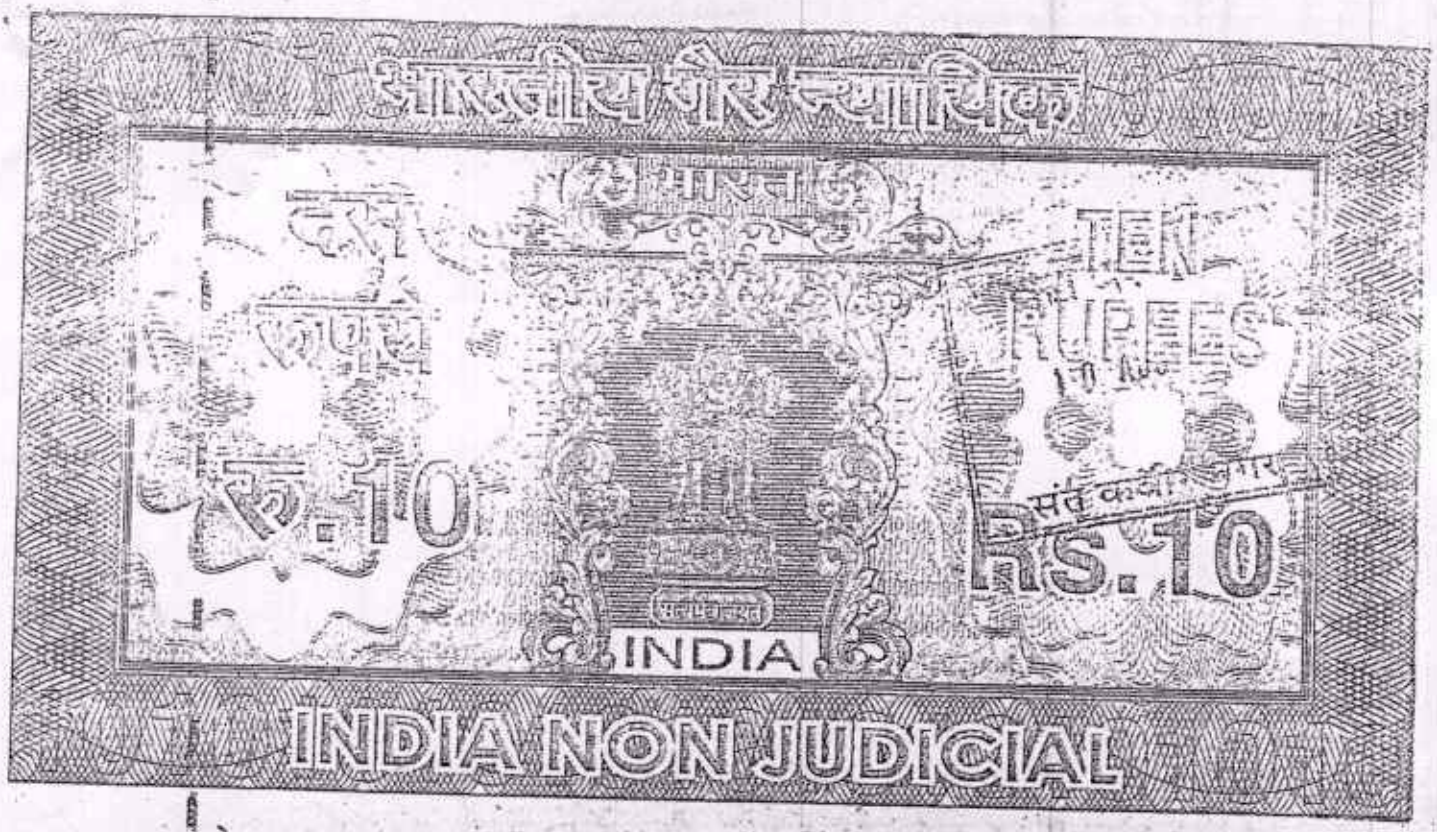

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

51AD 972363

संलग्न स्टाम्प पेपर ... कृष्णा सेवा समिति ...
ए-565/16 [illegible] [illegible] [illegible] ...
जि. गोरखपुर ... फाइल नं० ... 31.3.18
[illegible] [illegible] [illegible] ... के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :: ग्राम सेवा समिति।
2. संस्था का पूरा पता :: एफ-5/16, रायल गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड, तहसील सदर, गोरखपुर
3. संस्था का कार्य :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उददेश्य-

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत विद्यालयों की स्थापना प्राइमरी जुनियर हाईस्कूल, इण्टर एवं महाविद्यालय तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं पैरामेडिकल एवं मेडिकल कालेजो की स्थापना करना।
2. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना
3. समाज के पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे- कम्प्यूटर प्रशिक्षण सिलाई, कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, फल संरक्षण, रेक्सीन कला, ब्युटी पार्लर का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे स्वरोजगार के अवसर की जानकारी देना।
4. मदरसे की तरफ से बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना व धार्मिक पुस्तकालय जिसमें हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी एवं सभी विषयों की पुस्तकें हों।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु पेयजल, नाली, सिवर की निशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों की सफाई का कार्य करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन करना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियो को जानकारी देना व सरकार से सड़क, खड़ंजा, सिवर, पुल, पुलियों बनवाने में सहयोग करना।
6. समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना। नाट्यमंत्र व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा के बारे में ज्ञान करवाना।
7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन करना।
8. उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हे जागरूक जागरूक बनाना।
9. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगो हेतु कल्याणकारी कार्यो को सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए निःशुल्क आश्रम बनवाना।
10. विश्वशांति व साक्षरता के लिए कार्य करना उसको सफल बनाना।
11. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का निर्माण करना व उनके व्यवस्था का संचालन करना।
12. पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास की निःशुल्क व्यवस्था करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

13. देश विदेश से आये विद्यार्थिओं बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मशालाओं का निर्माण कराना व उसकी निःशुल्क व्यवस्था का संचालन करना।
14. महिला को स्वावलम्बी बनाने हेतु टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना करना व उसके माध्यम से उन्हें उस योग्य बनाना तथा कढ़ाईकला, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देना व संचालन करना।
15. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गांवों एवं शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।
16. बेरोजगारी दूर करने की दिशा से महिलाओं को अचार, मुरब्बा, बिस्कुट, नमकीन, केक, अगरबत्ती, मोमबत्ती, पत्तल, पापड़, जैम जैली बनाने का प्रशिक्षण दिलाकर, रोजगार के अवसर में सहयोग करना।
17. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।
18. बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई०एल०ओ०, यूनोडा, सिडवी, नबार्ड, कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कन्धे से कन्धा मिलाकर विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करना एवं विश्व विश्व बैंक तथा विदेशी परियोजनाओं में सहयोग देना व मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित समस्त कार्य करना।
19. फूलों एवं फलों की खेती तथा बागवानी बोर्ड से सम्बन्धित जानकारी जनमानस तक पहुंचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना।
21. विकलांगो के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, विद्यालय आश्रम पद्धति विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
22. आम जनता के उपयोग के लिए कम्युनिटी हाल, बरातघर, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम हेल्थ केयर सेंटर, नृत्यालय, अनाथालय, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क धर्मार्थ हास्पीटल, स्टेडियम, स्टूडियो, रात्रि निवास, शार्ट स्टे होम, मूक बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना।
23. देशाटन द्वारा बच्चों का बौद्धिक विकास करना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
24. विभिन्न प्रकार के जलसे, प्रेस कान्फ्रेंस तथा अन्य धार्मिक सामाजिक/सांस्कृतिक समारोहों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना।
25. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण, यौन प्रताड़ना, युवतियों को आवश्यक जानकारी, अविवाहित, माता, विधवा, पारिवारिक हिंसा/दहेज प्रथा दहेज पीड़ित मृत्यु से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों का आयोजन करना।
26. कम लागत की तकनीकी पर आधारित बसेरा, सोख्ता, शुष्क शौचालय, अग्निरोधी छप्पर बनवाकर उपलब्ध कराना।
27. प्राकृतिक संसाधनो पर आधारित सामग्रियों का समुचित प्रबन्ध करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति विकसित करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

28. उत्पादन एवं सब्जी उत्पाद, धान, गेहूँ एवं अन्य फसलों के क्षेत्र में नयी व पुरानी तकनीकी विकसित करके कृषकों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने एवं विकसित विधियों की खोज व डेरी फार्म व दुग्ध विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाना तथा कृषि कार्य हेतु विविधिकरण कार्यक्रमों का संचालन करना।

29. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को संचालित करना व आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध विकास के क्षेत्र में जानकारी देना।

30. औषधि कार्यों के लिए जड़ी-बूटियों का उत्पादन तथा संग्रह करना व जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना।

31. कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु गन्ना की ऐसी प्रजातियां एवं पैदावार की तकनीकी उपलब्ध कराना गन्ना कृषकों के स्तर के सर्वांगीण विकास के लिए ऊसर भूमि सुधार करना।

32. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ कार्यक्रमों को गांवो में व्यापक स्तर पर संचालित करना। टीकाकरण जैसे पल्स पोलियो, हैपेटाइटिस, क्षय रोग एड्स कैंसर टी०बी० का प्रचारव प्रसार कराना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निशुल्क धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की चिकित्सा स्वास्थ सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन निःशुल्क करना व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जनसाधरण को सुख सुविधा मुहैया कराना तथा निःशुल्क चिकित्सालय व रक्तदान शिविर एवं नेत्रदान का आयोजन करना।

33. कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यो व कृषि के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार व प्रसार करना।

34. समाज के लिए व्याप्त छुआछूत, ऊँच-नीच तथा जाति धर्म की विषमता को निर्मल करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों को दिलाना।

35. शराब व मादक पदार्थो का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना और उन कार्यक्रमों को सफल बनाना।

36. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।

37. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के पुर्नवास तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

38. समाज के पिछड़े वर्ग हेतु प्रशिक्षण जैसे- टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग टर्नर, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो, टेरिंग, लघु कुटीर, मोटर वाइन्डिंग, टी०बी० एयर कडीशनर का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर में सहयोग करना।

39. जल संरक्षण, जलचक्र व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना

40. नदियों में गन्दे नालों तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना। छोटे पोखरे एवं तालाबों के सुन्दीकरण के लिए कार्य करना।

41. महात्मा बुद्ध के अहिंसा के सिद्धान्तों पर चलते हुए जनमानस के बीच शांति अहिंसा भाईचारा, एकता तथा देश की एकता व अखण्डता के प्रति जनता को जागरूक करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

42. दैवी आपदा, बाढ़, भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियों, महामारी व विभिन्न कठिनाईयों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।

43. जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना।

44. समूह सहायता का गठन करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर व प्रशिक्षण देकर रोजगार में सहयोग करना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत रोजगार के अवसर में सहयोग करना। कपार्ट योजना के अन्तर्गत कूप लगवाना व तालाबों की सफाई करवाना।

45. समग्र विकास हेतु मानव जीव-जन्तु पशु पक्षी का कल्याण हो व देश विकसित हो ऐसी योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना।

46. मानव कल्याण हेतु विभिन्न धर्मों का प्रचार प्रसार एवं प्रतिस्थापना करना।

47. एड्स, कैंसर, कुष्ठ रोग तथा भ्रूण हत्या से बचाव के लिए प्रचार व प्रसार करना तथा पल्स पोलियो, टी०बी० रोड, क्षय रोग, औषधियों का निःशुल्क निवारण करना एवं टीकाकरण कैम्प लगवाने का प्रयत्न व प्रयास करना।

48. यूनिसेफ, युनिफेम, कपार्ट, नवार्ड, युराई, एक्सन ऐड, ग्राम्य विकास विभाग, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, बाल श्रमिक, विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का संचालन करना।

49. विदेशों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार करना तथा उनके कार्यों में सहयोग करना।

50. संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाकर रोजगार में सहयोग करना।

<u>जीव जन्तु कल्याण हेतुः-</u>

51. जगह-जगह निवास स्थल का निर्माण करना जिससे लावारिस व असहाय पशुओं को रखा जा सके तथा समुचित रूप से दवा का प्रबन्ध हो सके।

52. लावारिस पशुओं, कुत्ते, बिल्लियों, नीलगायों की समुचित संरक्षण प्रदान करना तथा लाचार बीमार जीव जन्तुओं के दवा का प्रबन्ध कर स्वस्थ होने पर उन्हें प्राकृतिक रूप से जीवित करने के लिए यथावत प्रबन्ध करना।

53. गो-सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना।

54. जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना जिससे जीव जन्तुओं की रक्षा करना।

55. वन्य जीवों के कल्याणार्थ कार्य करना तथा उनके आवासों के क्षति को बचाना एवं उसको नुकसान पहुँचाने वाले को सरकारी नियमों के अधीन करना।

56. जीव-जन्तुओं के दवा के लिए निःशुल्क अस्पताल की व्यवस्था करना।

57. जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ विचार पैदा करने हेतु जगह-जगह पर गोष्ठियों का आयोजन करना।

58. पशुओं के द्वारा जैसे कुत्ता, बिल्ली, बन्दर, सियार के काटने पर प्रतिरोधक दवा का प्रयोग करना, सम्बन्धित विभाग की अनुमति से।

59. जीव-जन्तुओं के निवास हेतु सरकार से उसे संरक्षित करना ताकि जानवरों को प्राकृतिक रूप से चारागाह का प्रबन्ध हो सके।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मिर्जापुर (उ०प्र०)

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम/पिता का नाम, पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के द्वारा नियमानुसार कार्यभार सौपा गया–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री राकेश कुमार	पुत्र स्व0 काली प्रसाद	ग्राम बरी पो0 टुंगपार जिला संत कबीर नगर	अध्यक्ष	कृषि
2	श्री राजेश कुमार	पुत्र स्व0 भगवती प्रसाद	ग्राम बरी पो0 टुंगपार संत कबीर नगर	उपाध्यक्ष	नौकरी
3	श्री पुष्पा चतुर्वेदी	पत्नी श्री विनय कुमार चतुर्वेदी	ग्राम बरी पो0 टुंगपार जिला संत कबीर नगर	मंत्री/प्रबन्धक	कृषि
4	श्री राम प्रसाद पाण्डेय	पुत्र स्व0 सूर्यलाल पाण्डेय	ग्राम भिनखीनी, पो0 धन्जवल, जिला संत कबीर नगर	उप मंत्री/उप प्रबंधक	नौकरी
5	श्री रामा प्रसाद शुक्ल	श्री शिवपुजन शुक्ल	ग्राम – सीहापार, पो0 सहजनवॉ – गोरखपुर.	कोषाध्यक्ष	कृषि
6	श्री वैभव चतुर्वेदी	पुत्र श्री विनय कुमार चतुर्वेदी	प्रभा भवन, मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद – संत कबीर नगर	आय–वयय निरीक्षक	कृषि
7	श्री तेज बहादुर सिंह	श्री ध्रुव नरायन सिंह	ग्रा0 व पो0 बेलदारीजोत, जिला – संत कबीर नगर	सदस्य	व्यवसाय
8	श्री विजय कुमार राय	श्री हरिनारायण राय	औद्योगिक अस्थान मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद संत कबीर नगर	सदस्य	नौकरी
9	श्रीमती मनोरमा देवी	पत्नी श्री राजेश कुमार	ग्राम बरी पो0 टुंगपार जिला संत कबीर नगर	सदस्य	कृषि
10	श्री हरिशंकर सिंह	श्री जगदम्बिका प्रसाद	ग्राम व पो0 कोनी, जिला – संत कबीर नगर	सदस्य	नौकरी
11	श्री मंगला मिश्रा	श्री राज नरायन मिश्रा	ग्राम व पोस्ट उमरी कलॉ जिला संत कबीर नगर	सदस्य	नौकरी

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0प्र0)

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम :: प्रभा सेवा समिति।
2. संस्था का पूरा पता :: F5/16 प्रथम तल,रायल गेस्ट हाउस,स्टेशन रोड़, तहसील सदर, जनपद–गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग–

आजीवन सदस्य –

जो व्यक्ति एक बार 1001–/ रूपेया नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वो संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

विशिष्ट सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितेषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक सहायता देनें वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा इन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

सामान्य सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था को 101–/ रूपेया वार्षिक चन्दा देते रहेगे या उतने ही मुल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य माना जायेगा ।

संरक्षक सदस्य–

वे व्यक्ति जो समिति को चल एवं अंचल सम्पत्ति निस्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य माना जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति–

1. *मृत्यु होने पर ।*
2. *पागल अथवा दिवालिया होने पर ।*
3. *संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर ।*
4. *अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।*
5. *सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।*
6. *स्वेच्छा से त्याग–पत्र देने पर।*
7. *लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।*
8. *अन्य किसी कारण से कार्यकारिणी समिति द्वारा 2/3 सदस्यो को बहुमत से सदस्यता से पृथक किये जाने पर।*

6. संस्था के अंग–

अ– साधारण सभा

ब– प्रबन्धकारिणी सदस्य

गठन – सभी प्रकार के सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठक – साधारण सभा की सामान्य बैठक कम से कम वर्ष के एक बार अवश्य होगी विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

सूचना अवधि– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यो को निश्चित सूचना के आधार पर दस दिन पूर्व दे दी जायेगी विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व देना आवश्यक होगा ।

गणपूर्ति– साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यो का 2/3 होगा । एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नही होगी।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि–

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष एक बार जून माह में अवश्य होगा।

साधारण सभा के कर्तव्य–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. बहुमत के आधार पर किसी सदस्य का निष्कासन या नियामावली में संशोधन करना।

7. प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो के आधार पर होगा जिसमें पदाधिकारी 6 सदस्य 5 होगे और कुल की संख्या 11 की होगी ।

बैठक– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि–

प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियो को कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दे दी जायेगी।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यो का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति–

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान अथवा आकस्मिक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के सदस्यो 2/3 बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए की जायेगी।

8. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य–

1. समिति का प्रबन्ध एवं संचालन करना।
2. साधारण सभा द्वारा सौंपे गये दायित्व का निर्वाह।
3. समिति के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखेगा।
4. समिति के आवश्यक दो पदो पर कर्मचारियो की नियुक्ति करना।
5. समिति के लिए भूमि,भवन एवं अन्य संसाधनो की व्यवस्था करना।
6. समिति के लिए ऋण, दान एवं अनुदान स्वीकार करना।
7. साधारण सभा के सामने आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव की तिथि से लेकर पॉच वर्ष का होगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0प्र0)

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष–

1. समिति की बैठक करना।
2. समिति के अभिलेखो को प्रतिहस्ताक्षरित करना।
3. एजेण्डा के अतिरिक्त किसी भी विषय की चर्चा करने का अधिकार होगा।
4. बैठको को बुलाना एवं अनुमोदन करना तथा बैठकों में शांति व्यवस्था कायम करना।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

मंत्री/प्रबन्धक/निदेशक

1. समिति द्वारा संचालित चंदो की व्यवस्था करना।
2. संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
3. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का रख रखाव करना।
4. कर्मचारियो के कार्यो का निरीक्षण करना।
5. कर्मचारियो की नियुक्ति पदोन्नति निष्कासन एवं निलम्बन करना।
6. किसी भी सदस्यो के आरोप सिद्ध होने पर सदस्यता से वंचित करना।
7. समस्त चल एवं अंचल सम्पत्ति का रख रखाव करना।
8. बिल एवं वाउचरो पर कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर हस्ताक्षर करना।
9. वर्ष के अन्त में आय–व्यय का लेखा जोखा करना एवं उसे प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

उपमंत्री/उपप्रबन्धक–

मंत्री/प्रबन्धक/निदेशक की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारो का प्रयोग करना। बैठको की कार्यवाहियो को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना दिनांक स्थान एवं समय निश्चित करना।

कोषाध्यक्ष–

1. समिति के कोष को एकत्र करना। कोष का संरक्षण करना।
2. समिति के कोष का लेखा–जोखा रखना। कोष का संरक्षण करना
3. पांच सौ रूपये तक धनराशि को अपने पास रखना जिसे मंत्री/प्रबन्धक/निदेशक की संस्तुति पर व्यय करना।

आय–व्यय निरीक्षक–

संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना एवं साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

10. संस्था के नियमो एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

संस्था के नियमो एवं विनियमो में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

11. संस्था का कोष–

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसका संचालन मंत्री/प्रबंधक/निदेशक के अकेले हस्ताक्षर से होगा।

12. आडिट–

संस्था के वर्ष के आय–व्यय का लेखा जोखा परीक्षण (आडिट) साधारण सभा द्वारा किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री/प्रबन्धक/निदेशक के उपर होगा।

14. संस्था के अभिलेख–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक रजिस्टर व संस्था जो अभिलेख आवश्यक समझेगी उसे बना सकती है।

15. विघटन–

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि० अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

16. ऋट अधिकार

संस्था को विद्यालय और भवन निमार्ण या अन्य कार्यो हेतु ऋट प्राप्त करने एवं उसकी अदायगी का अधिकार तथा कब्जा से सम्बन्धित सभी अभिलेखो/प्रपत्रों के लिए अधिकार प्रबन्धक/मंत्री के हस्ताक्षर से होगा।

17. प्रतिबन्ध :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जायेगा तथा उनसे अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 से मान्यता प्राप्त है। तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर दि इण्डियन सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तथा उस वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0प्र0)

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगें।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।
8. शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
9. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

दिनांक 30-9-09 सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ०प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....

[illegible] 31368

रजिस्ट्री संख्या

[illegible]

रजिस्ट्री [illegible] 23/11/05

[illegible]

को सन् 1860 के अधिनियम [illegible]

अंतर्गत् रजिस्टर्ड की गयी।

23.11.05

सहायक रजिस्ट्रार [illegible]

उत्तर प्रदेश, गोरखपुर